न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 34 / 2024(GCMS : 2027/97)

1. **केशो बाई** पुत्री गंगुराम जाति अरोड़ा, निवासी कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
2. **परमेश्वरी देवी**
3. **चन्द्रकला**
4. **छिनकी देवी**
5. **निर्मला देवी**
6. **संतोष**

(क्रम 2 से 6) पिसरान श्री गंगुराम जातियान अरोड़ा निवासी कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

7. **सुमन देवी**
8. **विनोद कुमार**
9. **प्रमोद कुमार**

(क्रम 7 से 9) पिसरान नानकचंद जाति अरोड़ा, निवाासी कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

— — — **प्रार्थीगण**

बनाम

1. **शीला बाई** पत्नी चौथुराम जाति अरोड़ा निवासी चक 2 ओ, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **कौशल्या** पत्नी टेकचन्द जाति अरोड़ा निवासी चक 2 ओ, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **सुनील कुमार** जाति अरोड़ा निवासी चक 2 ओ, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
4. **नीतू** पुत्री टेकचन्द पत्नी श्री सन्तोष कुमार जाति अरोड़ा, निवासी वार्ड नं. 7, चांदनी चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
5. **अंजू** पुत्री टेकचन्द पत्नी धर्मपाल जाति अरोडा निवासी मकान नं. 1/206, वार्ड नं. 6, हाउसिंग बोर्ड, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
6. **रजनी** पुत्री टेकचन्द पत्नी [illegible] जाति अरोड़ा निवासी 2 एफ बड़ा, खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. **हरीश कुमार** पुत्र चौथुराम पत्नी श्री हंस[illegible] जाति अरोड़ा, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:49:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

8. **जय देवी** पुत्री चौथुराम पत्नी श्री हंसराज जाति अरोड़ा निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
9. **आसो देवी** पुत्री चौथुराम पत्नी राजकुमार जाति अरोड़ा निवासी 6 एलएनपी तहसील व जिलाश्रीगंगानगर
10. **प्रकाश** पुत्री चौथुराम पत्नी श्री दलीप कुमार जाति अरोड़ा निवासी 6 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
11. **अमरीक सिंह** पुत्र श्री दिलबाग सिंह जाति जटसिख निवासी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
12. **मन्दन सिंह**
13. **सीता सिंह**
14. **गुरदेव सिंह**

} पिसरान श्री जगर सिंह जाति जटसिख निवासीगण कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

— — — **अप्रार्थीगण**

24.07.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री भजन लाल टाक उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थीगण (वादीगण) ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 88, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, प्रकरण संख्या 9/2011, अनवानी शीला बाई आदि बनाम भगवानी देवी वगै. के तहत चक 22 एफ का खाता संख्या नया पुराना 11/12 के मुरब्बा नं. 15 एवं 44 व मुरब्बा नं. 78/21 की 6.196 हैक्टेयर नहरी आराजी का दावा प्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर रखा है, जो वर्ष 2011 से विचाराधीन है, जिसे अप्रार्थीगण/वादीगण के कब्जा में है, जिसमें अप्रार्थीगण/वादीगण दावा को निस्तारण नहीं होने दे रहे है, इसलिए उनका मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अन्य सक्षम [illegible] में मुतकिल किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण [illegible] अधिकारी से मिलकर बाहर आये तथा कहा कि उपखण्ड अधिकारी हमारे जानकार आ गये है और उक्त दावा को हम हमारे पक्ष में डिक्री करवा लेगें, इसलिए प्रार्थीगण को अब उक्त पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:49:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के दबाव में है और पक्षपात पूर्वक उक्त दावा अप्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में कर देगे। प्रार्थीगण को पूर्ण विश्वास हो गया है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण/वादीगण के जानकार है, जो अप्रार्थीगण बार–बार उसके चैम्बर में जाकर आते है। इसलिए प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त दावा को उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय से अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाना चाहते है। इसलिए उन्होनें उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन अन्तर्गत धारा 53, 88, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 9/2011, अनवानी शीला बाई आदि बनाम भगवानी देवी वगै. को अन्यम सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विरास्तन इंतकाल से सम्बन्धित है जो वारिसनामा के आधार पर समस्त वारिसों के नाम से इंतकाल चढाया जाना है, जिसे किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिली करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय में विचारधीन प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण के आदेश दिये जाना उचित होगा।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी से मिलने पर लगाये गये आरोप साधारण आरोप है, ऐसे आरोप तो प्रार्थीगण किसी भी पीठासीन अधिकारी पर लगा सकते है, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.08.31 16:49:32 IST
Reason: SelfAttested

मैनें पत्रावली तथा उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 9/2011 अनवानी

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

शीला बाई आदि बनाम भगवानी देवी वगै. को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया है। **उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।** इस न्यायालय को धारा 53, 88, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के **प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है** अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

प्रार्थीगण केशो बाई वगै. द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण का दबाव होने के कारण, उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी द्वारा यह आरोप केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थीगण का प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा सकता है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है, जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निणर्य की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:49:22 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर